भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 756
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

ओडिशा में न्याय की सुलभता

756 श्री शुभाशीष खुंटिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओडिशा में, विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में, औपचारिक न्याय व्यवस्था तक पहुंच में सुधार के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिला न्यायालयों, कानूनी सहायता सेवाओं और त्वरित न्यायालयों को सुदृढ़ करने तथा अनौपचारिक या ग्राम-स्तरीय अवैध विवाद समाधान तंत्रों को हतोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने देश भर में न्याय के परिदान की सुगमता को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसके अंतर्गत ओडिशा राज्य भी है । राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों के संवर्धन के लिए, केन्द्रीय सरकार 1993-94 से जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित कर रही है । अंतिम पांच वर्षों में, इस सीएसएस के अधीन ओडिशा राज्य को 136.33 करोड़ रुपए (31.12.2025 की स्थिति के अनुसार) प्रदान किए गए हैं । 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, ओडिशा राज्य में 913 न्यायालय हॉल हैं तथा 156 न्यायालय हॉल निर्माणाधीन हैं ।

ई-न्यायालय प्रयोजना के अधीन, ओडिशा राज्य में कुल 184 ई-सेवा केंद्र कार्यात्मक हैं, जो वादियों, वकीलों तथा साधारण जनता को विभिन्न सेवाएं दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत ई-

फाइलिंग प्रक्रिया, न्यायालय फीस तथा जुर्माने के ई-संदाय में सहायता आदि सम्मिलित है । राज्य भर में जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन 220 न्यायालय परिसरों को सूचना संचार प्रौद्योगिकी हार्डवेयर मदें प्रदान की गई हैं तथा राज्य भर के सभी जिला न्यायालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से समर्थ किया गया है । ओडिशा राज्य में 44 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय, बालकों तथा महिलाओं के बलात्संग से संबंधित लंबित मामलों को निपटाने के लिए स्थापित किए गए हैं ।

सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) की स्थापना की है ताकि समाज के गरीब तथा हाशिए पर रहने वाले वर्गों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां भी हैं को मुफ्त तथा सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान की जा सके जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय की संरक्षा के अवसर से वंचित नहीं रखा जा रहा है तथा लोक अदालतों का आयोजन किया जाए ताकि बराबर अवसरों के आधार पर न्याय के संवर्धन के लिए विधिक प्रणाली के प्रचालन को सुरक्षित किया जा सके । देश के प्रत्येक कोने में नागरिकों तक पहुंचने के लिए जिसमें ओडिशा भी है, विधिक सेवा संस्थाएं तालुक स्तर से उच्चतम न्यायालय तक स्थापित की गई हैं ।

नालसा ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 अधिसूचित किया है, जो ऐसे गावों के आकार पर निर्भर करते हुए सभी गावों या गावों के समूह के लिए जिला विधिक सेवा क्लिनिकों की स्थापना का उपबंध करता है, जो ग्राम विधिक देखरेख तथा समर्थन केंद्र कहलाते हैं । तद्नुसार, ओडिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) तथा तालुक विधिक सेवा समितियों (टीएलएससी) द्वारा 132 ग्राम विधिक देखरेख तथा समर्थन केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि हाशिए पर रहने वाले लोगों जिसके अंतर्गत जनजातियां जो अपनी विधिक समस्याओं का हल ढुंढ रही है, भी सम्मिलित हैं, की मदद की जा सके, जहां कहीं अपेक्षित हो । पिछले दो वर्षों के दौरान ओडिशा में ग्रामीण विधिक देखरेख और समर्थन केंद्रों में आने वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें सहायता प्रदान की गई है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	आने वाले व्यक्तियों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई
2024	8,029	4,593
2025	7,638	5,644

अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र के भाग के रूप में, 2025 में नालसा द्वारा अनुसूचित तारीखों पर तालुक न्यायालयों से उडिसा उच्च न्यायालय तक 4 राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित

की गई हैं । उसके अलावा, ओडिशा राज्य विधिक प्राधिकरण (ओएसएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामलों पर 27.07.2025 को ओएसएलएसए द्वारा एक जिला स्तरीय लोक अदालत भी आयोजित की गई थी । और, ओडिशा में 22 स्थायी लोक अदालतें लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों से व्यौहार के लिए कार्यात्मक हैं ।

न्यायालय आधारित दांडिक मामलों में समाज के वंचित तथा विशेषाधिकारों से वंचित वर्गों को प्रभावी और गुणवत्ता विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ओएसएलएसए द्वारा राज्य के 30 डीएलएसए में विधिक सहायता रक्षा परिषद प्रणाली (एलएडीसीएस) को क्रियान्वित करने के लिए लोक रक्षक प्रणाली तथा नालसा के संरक्षण के अधीन कदम उठाए गए है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, न्याय की संपूर्ण सुगमता के लिए अभिनव समाधान डिजाइन स्कीम (दिशा) के अधीन समाज के गरीब तथा हाशिए पर रहने वाले वर्गों को विधिक सहायता के लिए टैली विधि तथा मुफ्त विधिक सेवाएं (न्याय बंधु) कार्यक्रम का कार्यान्वयन न्याय विभाग ने किया है । दिशा स्कीम के अधीन टेली विधि, मोबाइल एप तथा टोल फ्री नंबर 14454 के माध्यम से पंचायती स्तर पर सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी)/ग्राम स्तर उद्यमकर्ता (वीएलई) पर उपलब्ध वीडिओ/टेली कॉन्फ्रेसिंग के उपयोग से वाद-पूर्व सलाह देने के लिए नागरिकों को वकीलों से जोड़ती है । टेली विधि पहुंच कार्यक्रम के अधीन ओडिशा के महत्वाकांक्षी ब्लॉक में विधिक सुविधा प्रदाताओं के आधार पर समुदाय के रूप में 29 न्याय सहायक सक्रिय हैं । वह विधिक अधिकारों के बारे में जागरूकता सृजित करने में तथा घर घर पहुंच कर सामुदायिक वार्तालाप और स्थानीय संपर्क मंचों के माध्यम से हकदारी के लिए निर्णायक भूमिका अदा करते हैं ।
